

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ.-भैसरोडगढ़/अनु.कार्य./2020/ जयपुर,दिनांक : 22-12-20
2700

:: आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक 208 दिनांक 03.02.2020 द्वारा श्री लोकेश कुमार जैन, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत प्रसार अधिकारी), पंचायत समिति भैसरोडगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ को निलम्बित किया जाकर, निलम्बन काल में मुख्यालय जिला परिषद चित्तौड़गढ़ किया गया था।

उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 5911/2020 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2020 की पालना में अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,


(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव-II

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्थगन आदेश के संबंध में प्रभावी पैरवी करते हुए स्थगन अपास्त कराने की कार्यवाही करावें।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति भैसरोडगढ़ (चित्तौड़गढ़)
5. श्री लोकेश कुमार जैन, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत प्रसार अधिकारी), पंचायत समिति भैसरोडगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ हॉल मुख्यालय जिला परिषद चित्तौड़गढ़।
6. ए.सी.पी.मुख्यालय को विभागीय वेसाईड पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव-II